

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनाम/पद/...
1.11.19	<p>बहुलाय उपम अध्यायी सं. 9 की तहवी हेतु नोडिफ आयी होकर पत्रावली दिनांक 10.12.19 को पेश हो <i>Sony</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Shalok</i></p>
18.12.19	<p>बहुलाय उपम सरकारी पेशेवर उपम अध्यायी सं. 9 की ओर से सरकारी पेशेवर के प्रकरण में फोरमल पत्रावर होने के कारण अंतर प्राथमिक पत्र प्रस्तुत नहीं करने का विवेकन किया है। अतः इसका अवकाश का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वाले वही प्रथम पत्र हेतु रखी जाती है। बहुलाय अध्यायी की तहवी प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के तथ्य हालतों व तथ्यों पर मनन किया गया। हज्जा प्रकरण में हमारे समक्ष अस्थाई विधेधारण के लिए आवश्यक तीनों बिन्दुओं का अचित आधारों के विनाय पर प्रमाणित करने में कठिन प्राथमिक पूर्ण असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व हालतों के मध्यमतर प्राथमिक अतः प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाया जाते। के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यह पत्रावली फसल कुमार है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Sony</i> <i>Shalok</i></p>

श्री ग  
श्रीमान  
सेवामें  
श्रीमान  
से

प्राथमिक -  
01-दरीवादेवी पत्नी  
02-रिजू पुत्री श्री  
03-मोहीनी पुत्री  
03-भ्रवण पुत्र  
जातिगण-रं  
वादीगण -  
माता  
निवा

श्री ग  
श्रीमान  
से

27/12

